<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>25.01.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा, नई दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित नौ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है, जिनमें अरपोरा-नागाओ पंचायत के सरपंच और सचिव का परिसर भी शामिल है। ये तलाशी अभियान **गोवा के अरपोरा** स्थित **रोमियो लेन के 'बर्च'** नाइटक्लब के मालिकों से जुड़े कथित धन शोधन गतिविधियों की जांच का हिस्सा हैं, जहां एक दुखद अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी।

गोवा पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की है, जिनमें पीएमएलए के तहत कुछ अनुसूचित अपराध शामिल हैं। तलाशी में वैधानिक अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें जाली दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस प्राप्त करना और सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य अनुमोदन के अभाव में व्यावसायिक गतिविधियों का निरंतर संचालन करना शामिल है।

तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला कि बिर्च बाय रोमियो लेन का संचालन करने वाली इकाई ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 22 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। प्रथम दृष्टया, यह राजस्व अपराध की आय प्रतीत होता है, क्योंकि क्लब आवश्यक वैधानिक लाइसेंसों के बिना और विभिन्न विभागों से जाली अनापत्ति प्रमाण पत्रों/लाइसेंसों के आधार पर संचालित हो रहा था। तलाशी के दौरान समूह की संस्थाओं के माध्यम से भेजे गए विदेशी धन से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और संबंधित कानूनों के संभावित उल्लंघनों की जांच की जा रही है।

आगे की जांच में पता चला कि प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से उत्पन्न करोड़ों रुपये की धनराशि को व्यक्तियों के निजी बैंक खातों के साथ-साथ समूह की अन्य संस्थाओं के खातों में भी स्थानांतरित किया गया था। तलाशी के दौरान जांच से संबंधित कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, अपराध की आय को अपने पास रखने में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया है।

जांच में भ्रष्टाचार के संभावित पहलू और अपराध से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग की भी पड़ताल की जा रही है, जिसमें अन्य सहयोगी व्यक्ति भी शामिल हैं (गोवा पुलिस ने हाल ही में ऐसे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है)।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।